UPSI010052612014

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—01, सीतापुर।

उपस्थितः— मो0 सफीक
(एच0जे0एस0)

old Sessions Trial N0.500/2014

CIS NO.1200500/2014

राज्य बनाम् 1.कल्लू पुत्र बाहिद
2.भुट्टू उर्फ इब्राहिम पुत्र बारिस
निवासीगण शमशेरीपुरवा,मजरा ग्वारी
थाना थानगांव, जिला सीतापुर।

मुकदमा अ़पराध सं0—41/2014
धारा—302/34 भा0दं0सं0
थाना—थानगांव,जिला सीतापुर

एवं

UPSI010052642014

old Sessions Trial No.577/2014

CIS NO.1200577/2014

राज्य बनाम् 1.सहनूर पुत्र मुस्तफा
2.इसरार पुत्र अकबाल
निवासीगण शमशेरीपुरवा,
थाना थानगांव, जिला सीतापुर।

मुकदमा अ़पराध सं0—41/2014
धारा—302/34 भा0दं0सं0
थाना—थानगांव,जिला सीतापुर

निर्णय

1. प्रस्तुत प्राचीन सत्र परीक्षण संख्या—500/2014, मुकदमा अ़पराध संख्या—41/2014 में अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम के विरूद्ध धारा—302 भा0दं0सं0 एवं प्राचीन सत्र परीक्षण संख्या—577/2014, मुकदमा अ़पराध सं0 41/2014 में अभियुक्तगण सहनूर व इसरार के विरूद्ध धारा—302 भा0दं0सं0 में पुलिस थाना थानगांव द्वारा पृथक—पृथक प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्राचीन प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—500/2014 व प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—577/2014 का एक ही अपराध संख्या—41/2014 है और साक्ष्य भी एक ही

Digitally signed by Mohd Sapheek
Date: 2026.07.30 17:54:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur

तरह की आयी है। इसलिए प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—500 / 2014 के साथ ही प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—577 / 2014 का परीक्षण एक साथ किया जा रहा है।

3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—500 / 2014 दिनांक 11.07.2014 तथा प्राचीन सत्र परीक्षण सं0—577 / 2014 दिनांक 06.08. 2014 को सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त जिला जज महोदय द्वारा अन्तरण के बाद प्राप्त हुए।

घटना की तिथि व समय	**अभियोग पंजीकृत होने की तिथि व समय**	**आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि**	**आरोप विरचन की तिथि**
27.02.2014 की बीती रात समय अज्ञात	27.02.2014, समय 14.20 बजे	20.06.2014 11.07.2014	26.09.2014

4. अभियोजन कथानक के सुंसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.02.2014 को थाना थानगांव, जिला सीतापुर पर एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी रामनरेश गुप्ता पुत्र शम्भू दयाल गुप्ता, ग्राम समसेरीपुरवा, मजरा ग्वारी थाना थानगांव, जिला सीतापुर का निवासी है। उसका सगा भाई छोटेलाल गुप्ता उम्र करीब 40 वर्ष जिसकी दुकान हलीमनगर चौराहे पर वर्तन एवं खाद की थी। दुकान में लगभग 8—10 लाख रूपये का सामान बर्तन, खाद, मेंथा आयल 100 लीटर व 1 लाख नगद रखा था। बीती रात अज्ञात लुटेरों ने आकर उसके भाई की हत्या कर दी और दुकान में रखा सामान लूट ले गये। जो कि दुकान के लगभग 40 कदम की दूरी पर पुलिस पिकेट मौजूद है। पुलिस पिकेट ड्यूटी पर मौजूद थी। उसे पूरा विश्वास है कि इस लूट में पुलिस की मिलीभगत है। मृतक की 3 लड़की व 1 लड़का, सभी नाबालिग है। उसके परिवार की सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जाये।

5. उक्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर सम्बन्धित थाना थानगांव में मुकदमा अपराध सं0—41 / 2014, धारा—394,302 भा0दं0सं0 में अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 27.02.2014, समय 14.20 बजे पंजीकृत हुआ।

6. दिनांक 10.04.2014 को पुलिस अधीक्षक,जिला सीतापुर के समक्ष एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि प्रार्थिनी गीता देवी पत्नी स्व0 छोटेलाल गुप्ता, ग्राम समसेरीपुरवा, थाना थानगांव, जिला सीतापुर की निवासिनी है। वह अनपढ़ महिला है। उसके 4 बच्चे हैं। उसके पति छोटेलाल ग्राम हलीमनगर में अपनी दुकान के पीछे दिनांक 26.02.2014 को अपनी जगह में दीवाल बनवा रहे थे। उसके गांव के सहनूर पुत्र मुस्तफा व उनके रिश्तेदार कल्लू पुत्र वाहिद, भुट्टू उर्फ

इब्राहिम पुत्र वारिस, इसरार पुत्र अकबाल ने उसके पति को दीवाल बनाने से रोका। उसकी दुकान की गैलरी से जबरदस्ती रास्ता मांगा। उसके पति ने अपनी जगह में रास्ता देने से मना किया तो सभी लोगों ने गाली–गलौज किया। धमकी दी कि तुम्हें जुमा का दिन नहीं देखने देगें और तुम्हारी दुकान गिरवा देगें। जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 26.02.2014 की रात में उसके पति दुकान की गैलरी में तखत पर सोये हुए थे। वह दुकान के पीछे खेत में शौच के लिए गयी हुयी थी। समय करीब 3 बजे रात में दुकान की गैलरी में खटपट की आवाज सुनायी दी। उसने टार्च जलाया और टार्च की रोशनी में दुकान की गैलरी से सहनूर पुत्र मुस्तफा, कल्लू पुत्र वाहिद, भुट्टू उर्फ इब्राहिम पुत्र वारिस व इसरार पुत्र अकबाल निवासीगण समसेरीपुरवा, थाना थानगांव, जिला सीतापुर को भागते हुए देखा। उसने जाकर देखा कि उसके पति छोटेलाल तखत पर लहुलुआन मरे पड़े थे। वह अपने पति की मृत्यु देखकर घबरा कर बेहोश हो गयी। उसके देवर रामनरेश गुप्ता को घटना की सही जानकारी न होने के कारण दिनांक 27.02.2014 को थाना थानगांव में रिपोर्ट लिखादी। बाद में उसके देवर रामनरेश गुप्ता ने स्वंय द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट के बारे में उसे बताया। तब उसने दिनांक 07.03.2014 को थाना थानगांव में वास्तविक घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उसके देवर रामनरेश गुप्ता द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट असत्य है। अभी तक अभियुक्तगण गिरफ्तार नहीं किये गये हैं। उसे बराबर जानमाल की धमकी देते हैं कि तुम्हें व बच्चों को जान से मार डालेगें, तब जेल जायेगें। उसे जान का सख्त खतरा है। निवेदन किया कि अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार कराने की कृपा करें।

7. विवेचनोपरान्त तमाम तफ्तीश, बयान वादी व गवाहान, घटनास्थल का नक्शा नजरी, फर्द बरामदगी आलाकल खून आलूदा लकड़ी का बैट, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि के आधार पर पृथक–पृथक आरोप पत्र अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार के विरूद्ध धारा–302 भा0दं0सं0 न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये।

8. अभियुक्तगण जमानत पर हैं।

9. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0एक्ट), सीतापुर द्वारा उपरोक्त दोनों प्राचीन सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार के विरूद्ध दिनांक 26.09.2014 को धारा–302/34 भा0दं0सं0 में पृथक–पृथक आरोप विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व

समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क–मौखिक साक्ष्य–

पी0डब्लू0–1	गीतादेवी (तथ्य की साक्षी)
पी0डब्लू0–2	रामनरेश (वादी मुकदमा)
पी0डब्लू0–3	श्यामलाल (तथ्य का साक्षी)
पी0डब्लू0–4	श्रीमती सुषमा (तथ्य की साक्षी)
पी0डब्लू0–5	हेड का0 सुदामाराम (फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी आलाकत्ल बैट का साक्षी)
पी0डब्लू0–6	रामचन्द्र(तथ्य का साक्षी)
पी0डब्लू0–7	केशन (तथ्य का साक्षी)
पी0डब्लू0–8	निरीक्षक विजय कुमार यादव(विवेचक)
पी0डब्लू0–9	का0 मोहर्रिर अवधेश कुमार(चिक एफ0आई0आर0लेखक)
पी0डब्लू0–10	डा0 सन्याल कुमार(पोस्टमार्टम कर्ता)
पी0डब्लू0–11	से0नि0 पुलिस निरीक्षक योगेन्द्र सिंह(विवेचक)
पी0डब्लू0–12	छोटेलाल पासी(तथ्य का साक्षी)

ख–दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श क0सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**अभि0प्रपत्र साबित करनेवालेअभियोजन साक्षी की कम सं0**
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी0डब्लू01
प्रदर्श क–2	फर्द सुपुर्दगी टार्च	पी0डब्लू01
प्रदर्श क–3	लिखित तहरीर	पी0डब्लू02
प्रदर्श क–3ए	फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी आलाकत्ल बैट	पी0डब्लू05
प्रदर्श क–4	पंचायतनामा	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–5	चिट्ठी आर0आई0	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–6	चिट्ठी सी0एम0ओ0	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–7	नमूना मोहर	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–8	फोटो लाश	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–9	चालान लाश	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–10	फर्द खून आलूदा व सादी मिट्टी	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–11	घटनास्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू08

प्रदर्श क–12	घटनास्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–13	आलाकत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी	पी0डब्लू08
प्रदर्श क–14	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू09
प्रदर्श क–15	कार्बन प्रति कायमी जी0डी0	पी0डब्लू09
प्रदर्श क–16	मूल कायमी जी0डी0 नष्ट होने का प्रमाण पत्र	पी0डब्लू09
प्रदर्श क–17	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी0डब्लू010
प्रदर्श क–18	आरोपपत्र अभि0गण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम	पी0डब्लू011
प्रदर्श क–19	आरोपपत्र अभि0गण सहनूर व इसरार	पी0डब्लू011
वस्तु प्रदर्श–1	आलाकत्ल लकड़ी का वैट	पी0डब्लू08
वस्तु प्रदर्श–2	खून आलूदा मिट्टी का डिब्बा	पी0डब्लू08
वस्तु प्रदर्श–3	सादी मिट्टी का डिब्बा	पी0डब्लू08

11. अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 12.08.2025 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। गवाहों के बयानात के संबंध में कहा कि कुछ नहीं कहना है। पुलिस गवाहन के बयानों के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है। विवेचक द्वारा निष्पक्ष जॉच नहीं की गयी है, सारी कार्यवाही फर्जी की गयी है तथा झूठे व फर्जी प्रपत्र तैयार किये हैं और झूठा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि पुलिस पिकेट को बचाने के लिए पुलिस द्वारा झूठी व फर्जी कहानी गढ़ी गई एवं दूसरा/झूठा साक्ष्य गढ़ा गया। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतिरिक्त बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 में अभियुक्तगण द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, महानगर, लखनऊ की रिपोर्ट को गलत कहा।

12. अभियोजन व बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और मूल्यांकन से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि अभियोजन के मौखिक साक्षियों के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया जाए।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू01** गीतादेवी (वादिनी मुकदमा) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि उसने डरवश गांव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पति की हत्या हो गयी है। उसे और कोई डर नहीं है। हाजिर अदालत अभियुक्तगण का नाम इसरार, इब्राहिम, कल्लू व सहनूर है। यह सभी उसके पति व उसके गांव के हैं। उसके पति छोटेलाल ने

हलीमनगर चौराहे पर मुस्तफा से जमीन खरीदी थी। जो जमीन उसके पति ने खरीदी थी, उसके बगल में कल्लू की जमीन थी। उसके पति ने जो जमीन खरीदी थी उस पर उन्होने दुकान बनवाई थी। दुकान के बगल गैलरी थी। सभी अभियुक्तगण उपरोक्त ने उसके पति को दीवार बनाने से रोका था। उसके पति की हत्या से एक साल पहले दीवार बनाने से रोका था। सभी अभियुक्तगण गैलरी से रास्ता मांग रहे थे। उसके पति ने रास्ता देने से मना कर दिया। इस पर अभियुक्तगण ने उसके पति को धमकी दिया था कि मार डालेगें। घटना आज से डेढ़ साल पहले की रात 3 बजे की है। उस समय उसके पति गैलरी में तख्त पर लेटे थे। उस समय वह शौच गयी थी। फिर खटपट की आवाज होने पर उसने टार्च जलाई। रोशनी होने पर उसने भागते हुए कुल चार लोगों को देखा था। नजदीक आकर देखा तो उसके पति तख्त पर मरे पड़े थे तथा खून लगा हुआ था। उसके बाद मौके पर गांव वाले आ गये। फिर वह बदहवाश हो गयी। थाने पर जाकर रिपोर्ट उसके देवर रामनरेश ने लिखाई, लेकिन रिपोर्ट गलत लिखा दिया। फिर उसने 10–12 दिन सही अभियुक्तगण का नाम लिखकर पुलिस कप्तान को दरख्वास्त दिया था। दरख्वास्त उसने बोलकर टाइप कराकर उसे पढ़ाकर सुनकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0–70क तहरीर प्रार्थना पत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दरोगा जी ने उससे पूछताछ किया था। दरोगा जी को उसने टार्च दिया था जिसकी लिखापढ़ी की थी और उसके हस्ताक्षर बनवाए थे।साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0–7क फर्द/सुपुर्दगीनामा टार्च पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

13.1 अभियोजन पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू01** से सीमित बिन्दुओं पर जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि वह जान नहीं पायी कि भागने वाले चार लोग कौन–कौन थे। यह कहना गलत है कि उसने अपने पति को मारकर भागने वालों को पहचान लिया था। यह कहना गलत है कि वह भयवश सही बात नहीं बता रही है।यह सही है कि इन लोगों के डर की वजह से गांव छोड़कर दूसरे गांव में वह रह रही है। वह घटना के समय टार्च लिए हुए करीब 10 कदम दूर थी।

13.2 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू01** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसके पति ने मुस्तफा से दुकान खरीद कर उस पर चार दुकानें बनवाई। दुकानें पूरी जमीन पर बनवा लिया था। दो खाद की दुकान थी और दो बर्तन की दुकान थीं। पश्चिमी दुकान से थोड़ी जगह छोड़कर अबरार खॉ

की दुकान थी। चारों दुकानों के दक्षिण पीछे की तरफ सहनूर का चबूतरा था। चबूतरे के दक्षिण सहनूर का खेत है। उसकी दुकानों के पूरब शमीम का खेत है। दुकानों के उत्तर उसकी सहन छोड़कर पक्की सड़क है जो हलीमनगर से मियॉपुरवा जाती है। रास्ते के उत्तर वारिस व अब्दुल हमीद की दुकान है। उसकी दुकान के पश्चिम अबरार की जगह थी जिस पर अबरार ने उसकी दुकान के बाद थोड़ी जगह छोड़कर दुकान बनवा लिया था। अभियुक्त कल्लू की कोई जमीन आसपास नहीं है। घटना के एक साल पहले उसके पति पश्चिम तरफ गैलरी बना रहे थे तो उसी पर अभियुक्तगण द्वारा रास्ता मांगने पर विवाद हुआ था।उसके एक साल बाद यह घटना घटी। उसके गांव में हलीमनगर चौराहे पर पुलिस चौकी है। उसके देवर ने रिपोर्ट में लिखाया था कि 40 कदम पर पुलिस पिकेट मौजूद थी इसलिए पुलिस का भी इसमें हांथ लगता है। यह सही है कि पुलिस ने बचने के लिए उससे झूठी कहानी बाद में बनवा दिया। पुलिस ने कहा कि कह दो कि उसके देवर ने गलत रिपोर्ट लिखाई है। वह सुबह के नाते शौच गई थी। वह शौच करने वारिस तथा अब्दुल हमीद की दुकान के उत्तर गन्ने के खेत में गई थी। वह गन्ने का खेत उक्त दुकानों से लगभग 50 कदम दूर होगा। वह जब वारिस की दुकान के उत्तर–पश्चिम कोने पर पर पहुंची तो टार्च जलाने पर देखा कि 4 लोग पूरब तरफ भागे जा रहे हैं। वह लोग 50 कदम हो सकता है भागे रहे हों, लेकिन वह तुरन्त बेहोश हो गयी थी। फिर वह अपने पति के पास आकर उन्हें घायल व मरा देखकर बेहोश हो गई। उसके शोर पर गॉव वाले तथा रामनरेश, श्यामू आदि आ गये। श्यामू व रामनरेश उसके क्रमशः जेठ व देवर हैं। उसने इन लोगों को बताया कि 4 लोग घटना करके भाग गये हैं। हमलोग फिर रातभर सुबह तक लाश के पास रहे। दिन निकलने से पहले ही पुलिस वाले आ गये थे। रामनरेश द्वारा दी गयी दरख्वास्त की जानकारी उसकी दरख्वास्त के 1–2 दिन पहले हुई थी। अभियुक्तगण से उसे कोई खौफ नहीं है, यह सही है। घटना के बाद से उसकी अभियुक्तगण से मुलाकात नहीं हुई है, यह सही है। उसकी टार्च 2 सेल की थी। वह नहीं बता सकती कि टार्च की फर्द पर किसी पुलिस वाले के हस्ताक्षर नहीं है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने पत्रावली देखकर कहा कि पुलिस वालों के हस्ताक्षर छूट गये हैं।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू02** रामनरेश (मृतक का भाई) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि उक्त वाद के मृतक छोटेलाल गुप्ता उसके बड़े भाई थे। वह मुल्जिमान इसरार, सहनूर, भुट्टो उर्फ इब्राहिम व कल्लू को जानता–पहचानता है। सहनूर को छोड़कर सभी अभियुक्त

हाजिर अदालत हैं। यह सभी उसके गांव के रहने वाले अभियुक्त हैं। उसके घर से करीब 1 फर्लांग की दूरी पर हलीम नगर चौराहा पड़ता है। उसके भाई छोटेलाल लगभग 15 वर्ष पूर्व खुद की दुकान बनाकर उसमें बर्तन व खाद की दुकान करते थे और रात में वहीं रूकते थे। आज से करीब 2 वर्ष पहले रात में उसके भाई छोटेलाल दुकान के बगल में बनी हुई गैलरी में लेटे हुए थे। तभी उनका कत्ल हो गया था। सुबह सूचना मिलने पर वह भी वहॉ गया था और फिर थाने जाकर घटना की दरख्वास्त देकर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। उसने थाने पर एक आदमी से घटना बताकर दरख्वास्त लिखाई थी और थाने पर गया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं0–4क2 तहरीर प्रार्थना पत्र पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। दरोगा जी ने घटनास्थल पर उसका बयान लिया था। इसके बाद दरोगा जी ने उसका कभी कोई बयान नहीं लिया था और न ही उसकी भाभी गीता ने अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम सहनूर व इसरार द्वारा उसके भाई छोटेलाल की हत्या करके देखने की बात नहीं बताई थी।इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय की अनुमति से साक्षी से जिरह की गयी है।

14.1 अभियोजन द्वारा साक्षी **पी0डब्लू02** रामनरेश से प्रति परीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बयान दिया है कि उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि "जो उसकी भाभी ने उसके भाई की हत्या के संबंध में देखा था, वही उसे बताया है। उसे बताने आया है। घटना के दिन इस दुःख से उसकी भाभी इतना ज्यादा रो–पीट रही थी व विक्षिप्त थी कि उस दिन उन्होने उसे कोई बात नहीं बताई। इस कारण वह इस तथ्य का उल्लेख एफ0आई0आर0 में नहीं कर सका।" उसने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि "घटना की रात सुबह करीब 3 बजे उसकी भाभी दुकान के पीछे स्थित खेतों में शौच को गयी थी तो दुकान में खटपट की आवाज सुना। उन्होने टार्च लगाया कि एकाएक दुकान के अन्दर से उसके गांव के सहनूर, कल्लू, भुट्टू व इसरार निकल कर इधर–उधर भाग लिए। यह देखकर उसकी भाभी जब भाई के विस्तर के पास गयी तो देखा कि उसके भाई छोटेलाल विस्तर पर लहूलुहान मरे पड़े थे, कि वह रोते–चिल्लाते हमलोगों को खबर किया तथा वह रोते–रोते विक्षिप्त हो गयी। उनकी दशा इतनी खराब थी कि वह उस दिन उसे कुछ नहीं बता पायीं।आज जब उन्होने उसे पूरी बात बतायी तब वह आज थाना आकर आपको बताने आया है।" उपरोक्त बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, वह नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि घटना से पूर्व उसके भाई छोटेलाल का अभियुक्तगण से जमीनी

विवाद था। यह भी कहना गलत है कि उसकी भाभी ने दिमागी हालत सही होने पर उसे बताया हो कि सहनूर, कल्लू, भुट्टू व इसरार को घटना के समय गैलरी जहॉ पर छोटेलाल लहुलुहान पड़े हों, से निकलते देखा हो। यह सही है कि घटना के बाद से वह व उसकी भाभी तथा पूरा परिवार गांव छोड़कर रेउसा में रह रहे हैं। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण के डर की वजह से रेउसा में रह रहा है और वह आज अभियुक्तगण के भय व आतंक के कारण डरवश सही बात नहीं बता रहा है। यह सही है कि तहरीर प्रदर्श क–3 उसने थाने पर अपनी मर्जी से दी थी किसी से पूछकर नहीं दी थी।

14.2 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू02** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि हलीम नगर चौराहे पर उसके भाई की 4 दुकाने हैं। दो में खाद की दुकान और दो में बर्तन की दुकान थी। दुकानों के पश्चिम मिले हुए अबरार खॉ की दुकान व जगह थी। दुकान के पश्चिम मिले हुए अभियुक्त सहनूर खॉ का चबूतरा है। हमलोगों का पुश्तैनी मकान शमशेरीपुरवा में है। उसके भाई का परिवार व उसका परिवार उस समय शमशेरीपुरवा में रहता था। जिस दिन उसके भाई की हत्या व दुकानों में लूट हुई। उस दिन सुबह 5–6 बजे उसकी पत्नी शौच करने गयी थी तो दुकानों के पीछे थोड़ी दूर पर गन्ने के खेत में कुछ बर्तन पड़े देखे जिस पर उसको शक हुआ तो वह भाग कर दुकान पर आयी तो देखा उसके बड़े भाई छोटेलाल की हत्या कर दी गयी है तथा सब दुकानों का सामान बिखरा पड़ा है तो वह भागकर घर आयी और उसे व उसके भाई छोटेलाल की पत्नी को उक्त बात बताई। तब वह, छोटेलाल की पत्नी व परिवार के अन्य लोग दुकानों पर आये तो देखा कि उसके भाई की लाश पड़ी है और दुकानों का सामान अस्त–व्यस्त है। उसके भाई की दुकानों से बर्तन, 100लीटर मैथाआयल तथा 1लाख रूपया चोरी हो गया था। तब वह व उसके भाई छोटेलाल की बीबी थाने गये और वहॉ पर थाने के बाहर बैठे एक आदमी से छोटेलाल की पत्नी के सामने उस घटना की तहरीर लिखवाई और थाने पर मुंशी जी को देकर मुकदमा कायम कराया। उसने व छोटेलाल की बीबी ने कोई घटना नहीं देखी। दुकानों से करीब 40 कदम की दूरी पर पुलिस पिकेट रहती थी। उस रात भी पुलिस पिकेट ड्यूटी पर मौजूद थी। उसे व छोटेलाल की बीबी को पूरा विश्वास है कि इस घटना में पुलिस की मिलीभगत है। उसने यह बात अपनी तहरीर में भी लिखाई थी। तहरीर प्रदर्श क–3 गवाह को पढ़कर सुनाई गयी तो गवाह ने कहा कि यही तहरीर उसने लिखवाई थी जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। यह बात सही है कि पुलिस वाले अपनी बचत में हत्या व

लूट के मामले को केवल हत्या में तब्दील करके अभियुक्तगण को झूठा फसा दिया है। थाने पर जब रिपोर्ट लिखाने गया था तो रिपोर्ट लिखने के बाद दरोगा जी ने उसका बयान भी लिया था। अपने बयान में भी उसने अपनी तहरीर के अनुसार ही बयान दिया था। बाद में दरोगा जी ने घटना के करीब 20 दिन बाद पुलिस द्वारा उसका दोबारा बयान लिये जाने की बात गलत लिखी है। उसका पुलिस वालों ने बीस दिन बाद कोई बयान नहीं लिया। पुलिस वालों ने अपने बचाव में झूठा बयान दिया है। छोटेलाल का अभियुक्तगण व उससे कोई विवाद नहीं रहा। उसके भाई की हत्या व दुकानों में लूट की बात तभी मालूम हुई जब उसकी पत्नी सुषमा ने 5–6 बजे घर आकर बताया, तभी जानकारी हुई। अपनी पत्नी के बताने पर ही वह और उसकी भौजाई दुकानों पर गये थे। इसके पूर्व उसकी भौजाई शौच करने नहीं गयी थी, न देखा और न हमलोगों को कुछ बताया।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू03** श्यामलाल (तथ्य का साक्षी) है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण कल्लू, सहनूर, इसरार व इब्राहिम उर्फ भुट्टू उसके गांव के रहने वाले हैं। वह उनको घटना से पहले से जानता–पहचानता है। इस मुकदमे का मृतक छोटेलाल उसका सगा छोटा भाई था। घटना आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। उसके भाई छोटेलाल को अन्जान लोगों द्वारा मार डाला गया था। इसकी रिपोर्ट छोटेलाल की पत्नी ने नहीं बल्कि रामनरेश, जो कि सगा भाई है, ने लिखाई थी। उसने अभियुक्तगण द्वारा अपने भाई छोटेलाल की हत्या करते हुए नहीं देखा था। उसे इस बात की आज तक जानकारी नहीं हुई है कि उसके भाई छोटेलाल की हत्या किन लोगों द्वारा की गयी है। उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था और न अपने बयानों में उपरोक्त मुल्जिमान के नाम बताये थे।इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय की अनुमति से साक्षी से जिरह की गयी है।

15.1 अभियोजन द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी को धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने इन्कार किया और कहा कि ऐसा कोई बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था। आगे साक्षी ने बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण कल्लू, सहनूर, इसरार व भुट्टू आदि ने उसके मृतक भाई को दीवार बनाने से रोका हो। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त मुल्जिमान उसके भाई की गैलरी से रास्ता मांग रहे हों। यह भी कहना गलत है कि उसके भाई छोटेलाल ने अपनी जगह में रास्ता देने से इंकार किया हो। यह भी

कहना गलत है कि इसी बात पर अभियुक्तगण ने उसके भाई को देख लेने और जान से मार देने की धमकी दी हो। यह भी कहना गलत है कि उपरोक्त रंजिश के कारण ही अभियुक्तगण ने एक राय होकर उसके भाई छोटेलाल की हत्या कर दी हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण व उनके द्वारा दिये गये प्रलोभन के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

15.2 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू03** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसके भाई छोटेलाल की हलीमनगर चौराहे पर 2–3 दुकानें थीं। जिनमें एक बर्तन की, एक में परचून का सामान भरा था एवं पिपरमेंट का तेल भी खरीदते थे। तीनों दुकानों का सामान चोरी हो गया था। नगद भी 1लाख रूपये रखा था, वह भी चला गया। उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने घटना नहीं देखी है। सुबह घटना की जानकारी हुई थी कि उसके भाई की हत्या व चोरी हो गयी। सामान करीब 10–15 लाख का था। घटना के पहले से 8–10 पुलिस वालों की हलीमनगर चौराहे पर ड्यूटी थी। हमलोगों को शक था कि पुलिस वालों ने बाहरी लोगों को बुलाकर यह घटना करा दी। अभियुक्तगण से उसके परिवार वालों से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस ने अपने को बचाने के लिए अभियुक्तगण को झूठा फंसा दिया है। उसने न्यायालय में जो भी बयान दिया है, वह सही–2 दिया है। उसे जानकारी है कि न्यायालय में गलत बयानी करने वाले को दण्डित किया जाता है। उसने किसी के जोर–दबाब में बयान नहीं दिया है।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू04** श्रीमती सुषमा (तथ्य की साक्षी) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण को वह जानती–पहचानती नहीं है। वह उनके नाम को नहीं जानती है। घटना आज से करीब 4 वर्ष पूर्व की है। उसके जेठ छोटेलाल मार डाले गये थे। उसके जेठ छोटेलाल की हलीम नगर बाजार में सड़क के दक्षिण दुकानें बनी हैं। उसमें वह खाद व बर्तन का कारोबार करते थे तथा रखवाली के लिए दुकान की गैलरी में पड़े तख्त पर सोते थे। घटना वाली रात को भी वह उसी तख्त पर सोये हुए थे। रोज की भांति सुबह करीब 5–6 बजे वह दुकान के पीछे गन्ने के खेत में शौच के लिए गयी थी तो गन्ने के खेत में कुछ बर्तन पड़े हुए उसने देखे थे। दुकान में चोरी होने की शंका पर वह दुकान में गयी तो देखा कि उसके जेठ छोटेलाल गुप्ता तख्त पर लहूलुहान पड़े है और दुकान का सामान बिखरा पड़ा है। अज्ञात बदमाश उसके जेठ की हत्या कर दुकान का सामान लूट ले गये हैं। यह बात जाकर उसने अपने घर बतायी तब घर वाले मौके पर आये थे। फिर उसके

पति रामनरेश ने थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने घटना की बाबत उससे पूछताछ की थी और उसका बयान लिया था।

16.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू04** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि मेरे जेठ छोटेलाल की बर्तनों की बड़ी दुकान थी तथा पिपरमेंट की खरीद–फरोख्त भी करते थे और खाद का भी उनका बड़ा कारोबार था। करीब 40–50 लाख का माल दुकान में लगा रहता था। घटना वाली रात खाद, बर्तन व पिपरमेंट तेल सब कुछ गायव था जिसे बदमाश लूट ले गये थे। हलीमनगर चौराहे पर दुकानों के पास ही पुलिस चौकी थी। जहॉ पुलिस वाले हर समय बने रहते थे। उसके पति व घर वालों एवं उसकी जेठानी गीता को यह पूरा विश्वास था कि यह घटना पुलिस वालों ने ही करायी है। यह बात उसके पति ने रिपोर्ट में भी लिखायी थी। इस घटना को कारित करते किसी ने नहीं देखा था। जब उसने घर जाकर लूट व हत्या के बारे में बताया तब उसकी जेठानी गीता पत्नी छोटेलाल, उसके पति व तमाम लोग मौके पर आये और उसकी जेठानी के कहने पर, उसने व उसके पति ने जो देखा था, के अनुसार थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी। बड़े अधिकारी, जो गये थे, उनसे भी यह बताया था कि पुलिस ने यह घटना करायी है। पुलिस वाले अपने को बचाने के लिए गीता बगैरह पर यह दबाब डाल रहे थे कि वह बयान बदल दे और पुलिस पर आरोप न लगाये। गीतादेवी उसके घर पर जाने पर बताने पर ही उसके पति आदि के साथ मौके पर आये थे।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू05** हेड का0 सुदामा राम (फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी आलाकत्ल का साक्षी) है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 31.03.2014 को वह थाना थानगांव जिला सीतापुर में बतौर आरक्षी नियुक्त था। वह उस दिन थानाध्यक्ष थानगांव विजय कुमार यादव व आरक्षी सीताराम के साथ मय जीप सरकारी के हलीमनगर बैंक के पास वांछित अभियुक्तगण सहनूर आदि में मामूर थे। तभी वहॉ पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम अभी गांव में मौजूद हैं। तब हम सभी लोग मय मुखबिर शमशेरपुरवा मोड़ तिराहे के पास आये तब मुखबिर मोड़ तिराहे पर पश्चिम–दक्षिण कोने पर बैठे दो व्यक्तियों की ओर इशारा करके चला गया तथा पुलिसपार्टी ने समय करीब 6 बजे सुबह उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और अपने नाम कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम बताये। घटना के संबंध में पूछने पर उपरोक्त अभियुक्तगण ने बताया कि सह अभियुक्तगण सहनूर व इसरार के साथ मिलकर छोटेलाल की हत्या की थी और यह भी बताया कि

लकड़ी के बैट से छोटेलाल के सिर पर मारा था। वह बैट गांव के बाहर पोखरा वाली रोड की पुलिया के नीचे छिपा दिया था। पुलिसपार्टी अभियुक्तगण द्वारा बताये स्थान पर गयी और सुबह 7 बजे बैट निकाल कर दिया। जिसे मौके पर ही एक कपड़े में रखकर सीलमोहर व नमूना मोहर तैयार किया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्तगण थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार कर हमराही कर्मचारी व अभियुक्तगण के अलामात फर्द बरामदगी पर बनवाये थे। घटनास्थल पर आने–जाने वाले राहगीरों से बरामदगी के संबंध में गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु कोई राहगीर भलाई–बुराई की वजह से तैयार नहीं हुआ। फिर गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण व बरामद शुदा माल लेकर हमलोग थाने आये। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–3ए** डाला गया।

17.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू05** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में किसी अधिकारी ने उसका बयान नहीं लिया था। थाने से हमलोगों की रवानगी किस समय हुई, याद नहीं। थाने से चलकर हमलोग हलीमनगर पहुंचे थे। हलीमनगर थाने से 7–8 किमी0 पूरब और दक्षिण दिशा में है। हमलोग बैंक के पास पहुंचे तो मुखबिर ने आकर बताया कि इस मुकदमे के अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम शमशेरपुरवा तिराहे के पास मौजूद हैं। इन दोनों की हमलोगों को तलाश थी क्योंकि वे उक्त मुकदमे में वांछित थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमलोग शमशेरपुरवा जाने वाले थे। हलीमनगर व शमशेरपुरवा आपस में मिले हुए हैं जिसके बीच में डामर रोड़ है। हलीमनगर से शमशेरपुरवा दक्षिण तरफ है।शमशेरपुरवा की उत्तर यह तिराहा पड़ता है। तिराहा शमशेरपुरवा से मिला हुआ है। शमशेरपुरवा जिस तिराहे पर जो रोड़ है, उसमें एक रोड़ रसूलपुर से मियॉपुर जाती है। शमशेरपुरवा तिराहे से एक रोड़ पोखरा गांव जाती है। मियॉपुरवा–रसूलपुर वाली रोड से दक्षिण पोखराकला है। इस रोड पर गांव व क्षेत्रीय लोगों का आना जाना है। घुडैचा से दिवियापुर जो रोड गयी है, वह मेन रोड़ है। काफी बिजी रहती है। यह रोड़ पोखरा गांव होकर गयी है। रोड़ से वह पुलिया जो पोखरा रोड पर पड़ती है, वह 25 कदम की दूरी पर है। यह पुलिया बनी है किन्तु वहॉ कोई नाला बगैरा नहीं है। अभियुक्तगण ने इसी पुलिया के नीचे से बैट निकाल कर दिया था। महमूदाबाद से जो बसें रेउसा के लिए जाती हैं, वह मियॉपुरनवा होते हुए जाती हैं। बैट की लम्बाई क्या थी, याद नहीं है। मोटाई भी याद नहीं है। नमूना मोहर का निशान उसे याद नहीं है। उक्त सीलमोहर पर

किसके–किसके हस्ताक्षर हैं, उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके सामने न कोई गिरफ्तारी हुई न कोई बरामदगी बनी। यह भी कहना गलत है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को झूठा पकड़कर मुकदमा बना दिया हो।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू06** रामचन्द्र(तथ्य का साक्षी) है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि वह मृतक छोटेलाल गुप्ता निवासी ग्राम समशेरीपुरवा को जानता–पहचानता नहीं था। वह इसरार पुत्र इकबाल व सहनूर पुत्र मुस्तफा को भी जानता–पहचानता नहीं है। अभियुक्तगण इसरार व सहनूर उसके पास कभी नहीं आये और न उसे बताया कि उसने, कल्लू व भुट्टू ने मिलकर छोटेलाल गुप्ता की हत्या कर दी है। थाना थानगांव की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दविश दे रही है। साक्षी का थानगांव की पुलिस से आना–जाना है, उन्हें बचा लो। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय की अनुमति से साक्षी से जिरह की गयी है।

18.1 अभियोजन द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी को धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने इन्कार किया और कहा कि ऐसा कोई बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता सकता। आगे साक्षी ने बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण इसरार व सहनूर उसके पास आये और उसे बताया हो कि हमदोनों के अलावा कल्लू व भुट्टू ने मिलकर 26/27 फरवरी की रात समय करीब 3 बजे छोटेलाल गुप्ता की सोते समय उसकी दुकान की गैलरी में हत्या कर दी। यह भी कहना गलत है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण द्वारा उससे कहा गया कि उन्हें थाना थानगांव की पुलिस से बचा लो। यह भी कहना गलत है कि दरोगा जी ने उसका बयान लिया हो। यह कहना गलत है कि थाना थानगांव की पुलिस के साथ उसका उठना–बैठना हो। यह भी कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण से मिल गया है इसलिए अदालत को सही बात न बता रहा हो।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू07** केशन (तथ्य का साक्षी) है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि वह सहनूर व इसरार को नहीं जानता है। छोटेलाल को जानता है। मृतक छोटेलाल शमसेरी पुरवा के रहने वाले थे। छोटेलाल वाली घटना को करीब 5 साल हो गये हैं। वह इसरार पुत्र अकबाल व सहनूर पुत्र मुस्तफा को जानता–पहचानता नहीं है। इन लोगों ने आकर उसे कभी नहीं बताया कि इन्होने छोटेलाल गुप्ता की हत्या कर दी है। न

उससे कहा कि उसे थानगांव की पुलिस से बचा लो। दरोगा जी ने इस संबंध में उसका कोई बयान नहीं लिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय की अनुमति से साक्षी से जिरह की गयी है।

19.1 अभियोजन द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी को धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने इन्कार किया और कहा कि ऐसा कोई बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था। कैसे लिख लिया, वह इसकी वजह नहीं बता सकता। आगे साक्षी ने बयान दिया है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण सहनूर व इसरार उसके पास आये हों और उसे बताया हो कि हमदोनों के अलावा कल्लू व भुट्टू ने मिलकर दिनांक 26/27 फरवरी की रात समय करीब 3.00 बजे छोटेलाल की हत्या कर दी। यह भी कहना गलत है कि उक्त दोनों अभियुक्तगण ने उससे कहा हो कि उसे थाना थानगांव की पुलिस से बचा लो। यह भी कहना गलत है कि दरोगा जी ने उसका बयान लिया हो। यह भी कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण से मिल गया है इसलिए अदालत में आज उन्हें बचाने के लिए सही बयान नहीं दे रहा है।

19.2 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू07** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि शमसेरपुरवा उसके गांव से लगभग 10 किमी0 दूरी के फांसले पर है। थानगांव भी उसके गांव रेउसा से लगभग 10किमी0 की दूरी पर है।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू08** निरीक्षक विजय कुमार यादव (विवेचक) है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 27.02.2014 को वह थाना थानगांव जिला सीतापुर में बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त थे। उस दिन मु0अ0सं0–41/2014 धारा–394,302 भा0दं0सं0 थाना थानगांव जिला सीतापुर बनाम अज्ञात में उसकी मौजूदगी में थाने पर दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात् उसने उक्त वाद की विवेचना स्वंय ग्रहण कर उसी दिन नकल चिक व नकल रपट का हवाला केस डायरी पर करने के पश्चात् थाने में मौजूद एफ0आई0आर0 लेखक का0 मोहर्रिर अवधेश कुमार यादव का बयान केस डायरी पर अंकित करने के पश्चात् थाना कार्यालय से जिल्द पंचायतनामा मय दीगर कागजात के मय हमराही एस0आई0 भवानी शंकर सिंह, एस0आई0 आर0पी0 प्रेमी, आरक्षी सीताराम भारती, हरीश तिवारी, आरक्षी सुरेश बहादुर सिंह आदि हमराही फोर्स के साथ थाने से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। हमलोग घटनास्थल हलीमनगर बाजार पहुंचे जहॉ पर मृतक का शव उसकी दुकान के सामने रखा हुआ मिला। वहीं पर भीड़ से पंचानों को नियुक्त कर मृतक छोटेलाल गुप्ता के शव का पंचायतनामा

उसकी उपस्थिति व उसके दिशा–निर्देशन पर एस0आई0 भवानी शंकर सिंह द्वारा तैयार किया गया। उक्त एस0आई0 उसके साथ थाना थानगांव में तैनात थे। तैनाती के दौरान उसने उनको लिखते–हस्ताक्षर बनाते देखा है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर से भली–भांति परिचित है। मृतक छोटेलाल गुप्ता उम्र 40 वर्ष पुत्र शम्भूदयाल के शव का पंचायतनामा समय 15 बजे प्रारम्भ कर 16.15 पी0एम0 पर समाप्त किया गया। पंचायतनामा पर पंचों की राय अंकित कर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये। शव को एक कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमराही आरक्षी सुरेश बहादुर के सुपुर्द किया गया। पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित दीगर कागजात चिट्ठी आर0आई0, चिट्ठी सी0एम0ओ0, नमूना मोहर, फोटो लाश, चालान लाश एस0आई0 भवानी शंकर सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं। साक्षी ने द्वितीयक साक्ष्य से पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा, चिट्ठी आर0आई0, चिट्ठी सी0एम0ओ0, नमूना मोहर, फोटो लाश, चालान लाश पर एस0आई0 भवानी शंकर सिंह के हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–4 लगायत प्रदर्श क–9** डाले गये। घटनास्थल से समक्ष गवाहान मृतक के शव के पास से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जे में लेकर अलग–2 डिब्बे में रखकर उन्हें कपड़ों में उक्त डिब्बो में सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर बनवाये गये। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। मौके पर वादी रामनरेश गुप्ता व उसकी पत्नी सुषमा मौजूद थे जिनका बयान केस डायरी पर अंकित किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। इसके पश्चात् फर्द कब्जा में लेने खून आलूदा व सादी मिट्टी नकल केस डायरी पर करने के पश्चात् उक्त फर्द के गवाहान अशोक कुमार व अजगर अली का बयान अंकित करने के पश्चात् पंचायतनामा के गवाहान रामजीवन, राधेश्याम, रामनरायन, रमेश चन्द्र व रामेश्वर का बयान केस डायरी पर अंकित किया तथा अभियुक्तगण की तलाश किया, परन्तु दस्त याव नहीं हुए। दिनांक 28.02.14 को मृतक छोटेलाल गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका विवरण केस डायरी पर अंकित किया। दिनांक 01.04.14 को गवाह श्रीमती गीता देवी का बयान केस डायरी पर अंकित किया तथा उनकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।

दिनांक 12.03.14 को डांक से गीतादेवी द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दिया गया प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन कर विवरण केस डायरी पर अंकित किया। दिनांक 16.03.14 को श्यामलाल गुप्ता का बयान केस डायरी पर अंकित किया। दिनांक 20.03.14 को वादी रामनरेश का मजीद बयान केस डायरी पर अंकित किया। दिनांक 31.03.14 को वह व उसके साथ हमराही फोर्स उक्त वाद के वांछित अभियुक्तगण कमी तलाश में मामूर थे। जब हमलोग हलीम नगर बंधे के पास मौजूदथे तो वहीं पर उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त वाद के अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम गांव से बाहर जाने के लिए शमसेरीपुरवा मोड़ तिराहे के पास आये तब मुखबिर ने इशारे से बताया कि मोड़ तिराहे के पश्चिम–दक्षिण कोने पर दो आदमी खड़े हैं। मुखबिर ने बताया कि यही कल्लू व भुट्टू हैं। उसने हमराही फोर्स की मदद से समय करीब 6 बजे सुबह उक्त अभियुक्तगण को पकड़ लिया। नामपता पूछने पर एक ने अपना नाम कल्लू तथा दूसरे ने अपना नाम भुट्टू बताया। उक्त लोगों ने मृतक छोटेलाल वाली घटना को उक्त दोनों के अलावा अपने साथ घटना कारित करने में सहनूर व इसरार को भी बताया। कल्लू की निशानदेही पर आलाकत्ल बैट बरामद किया गया। बैट को मौके पर ही कपड़े में रखकर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर ही लिखकर पढ़कर सुनाकर फर्द पर हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के अलामात बनवाये गये। मौके पर आने–जाने वाले राहगीरों से गवाही के लिए कहा गया, परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। साक्षी द्वारा फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। फर्द बरामदगी की नकल केस डायरी पर करने के पश्चात् अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू उर्फ इब्राहिम का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 02.04.14 को आलाकत्ल बरामदगीस्थल का नक्शा नजरी तैयार किया।साक्षी ने पत्रावली में संलग्न नक्शा नजरी बरामदगीस्थल पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। फर्द बरामदगी से सम्बन्धित विवरण केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 10.04.14 को आलाकत्ल बैट जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जॉच हेतु भेजा गया था, उसका डाकेट नम्वर प्राप्त हुआ, का विवरण केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 19.04.14 को गवाह छोटेलाल का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 13.05.14 को गवाहान रामचन्द्र व केशन का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 28.05.14 तक की विवेचना उसके द्वारा की गयी। उसके पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के आदेश से विवेचना थाना बिसवॉ स्थानान्तरित हो गयी थी। एक अदद सर्व मुहर बण्डल प्रस्तुत किया गया। बण्डल पर अपराध सं0–41/14 धारा–302,394 भा0दं0सं0 थाना

थानगांव, जिला सीतापुर लिखा है। साक्षी ने बण्डल के कपड़े पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। बण्डल से एक अदद लकड़ी का बैट निकला, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यही बैट बरामद किया गया था। उसके अलावा दो अदद डिब्बे निकले जिसमें एक पर खून आलूदा व सादी मिट्टी लिखी है। उक्त डिब्बों को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही डिब्बे हैं जिनमें उसने घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी कब्जे में लेकर सीलमुहर किया था। साक्षी द्वारा बैट की वस्तु **प्रदर्श–1** तथा दोनों डिब्बों की वस्तु **प्रदर्श क–2 व 3** के रूप में पुष्टि किया।

20.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू08** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि सीलमुहर बण्डल पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। सीलमुहर से अलग कपड़ें पर हस्ताक्षर हैं। इस कपड़े पर सी0जे0एम0 सीन करने के दस्तख्त हैं। दोनों हस्ताक्षर की इंक एक ही है। दोनों हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 31.03.14 अंकित है। उसने व सी0जे0एम0 साहब द्वारा दिनांक 31.03.14 को हस्ताक्षर किये गये हैं। इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक छोटेलाल के सगे भाई रामनरेश ने लिखायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उक्त मुकदमे की घटना कारित करते रामनरेश ने देखा नहीं। रामनरेश की रिपोर्ट के अनुसार जब रामनरेश की पत्नी सुबह शौच के लिए गई तो खेत में कुछ बर्तन व कपड़े पड़े हुये मिले जिससे उसको शंका हुई तब उसने देखा कि छोटेलाल मरे पड़े हैं और दुकानों का सारा सामान गायब व तितर–वितर पड़ा है। रामनरेश की पत्नी सुषमा देवी ने भी अपने बयान में रामनरेश के उस कथन का समर्थन किया था और यह बयान दिया था कि जब सुबह वह शौच करने गयी थी तो खेत में कुछ बर्तन व कपड़े मिले थे जिस पर वह दुकानों की ओर गयी तो देखा कि छोटेलाल मरे पड़े हैं, उनका सामाना गायब है। रामनरेश के अनुसवार छोटेलाल की दुकानों में 8–10 लाख रूपये का सामान व सौ लीटर पिपरमेंट आयल, एक लाख रूपया नगद रखा था जो बदमाश उठा ले गये थे। रामनरेश ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा था कि घटनास्थल से 40 कदम पर पुलिस पिकेट मौजूद थी और उसे पूरा विश्वास है कि इस घटना में पुलिस की मिलीभगत है। इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसकी मौजूदगी में लिखाई गई थी। थाने पर उसने वादी रामनरेश का बयान नहीं लिया। घटनास्थल पर जब वह पहुंचा तो देखा कि मृतक की पत्नी गीतादेवी, वादी की पत्नी सुषमा देवी, वादी रामनरेश व तमाम गांव वाले मौजूद थे। घटनास्थल पर उसने रामनरेश व उसकी पत्नी सुषमा देवी का बयान लिया। गीता देवी का बयान व पूछताछ उसने नहीं की और न ही गीता देवी ने उसे स्वंय कुछ बताया। मृतक की

4 दुकानें थीं जिनमें सभी दरवाजे व सदर उत्तर रूख को थे। 2 दुकानें खुली व 2 दुकानें बन्द थीं। जो दुकान खुली पड़ी थी उसी का सामान लूटकर जाना बताया था। मृतक छोटेलाल की लाश गैलरी में पड़े तखत पर पड़ी थी। गैलरी में उत्तर तरफ लगा दरवाजा बन्द था। दक्षिण तरफ गैलरी खुली थी। गैलरी में "ए" स्थान पर तखत पड़ा था। केसडायरी में लिखा है वह इस कारण लिखा है कि शव दुकान के बाहर रखा मिला था। पंचायतनामा उसके निर्देश पर भवानी शंकर सिंह ने भरा था। खेत में जो बर्तन व कपड़े मिले थे उनको उसने कब्जे में नहीं लिया। लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजने के बाद उसने जवलपुरवा, खटेहरी, ग्वारी, हलीमनगर आदि गांवों में घूमकर बदमाशों की सुरगरसी की थी। मगर बदमाशों का कोई पता नहीं चला। सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी अलग–अलग डिब्बों में रखकर कपड़ों में रखकर सील मुहर किया गया था। उक्त कार्यवाही दिनांक 27.02.14 को की गयी थी। थाने से शमसेरीपुरवा पश्चिम तरफ लगभग 10 से 15 किमी0 की दूरी पर होगा। मृतक छोटेलाल की दुकानें हलीमनगर बाजार में थीं। हलीमनगर से शमसेरीपुरवा करीब 100 कदम दक्षिण को है। बीच में वह रोड है जो मियॉ पुरवा की ओर से रेउसा की ओर जाती है। हलीमनगर से एक रोड शमसेरीपुरवा जाती है। जहां पर हलीमनगेर से शमसेरीपुरवा, मिंयापुरवा से रेउसा वाली क्रास करेगी, वहॉ पर चौराहा है। इस चौराहे के पास में ही बैंक है। यह उसे ाद नहीं है कि बैंक चौराहे से किस दिशा में है। उक्त चौराहे पर समय करीब 6 बजे सुबह उसने दोनों अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू को गिरफ्तार किया था। बैंक चौराहे पर ही है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी। मगर बरामदगी के पहले अभियुक्तगण का बयान अंकित नहीं किया। बरामदगी के बाद अंकित किया। बैट की बरामदगकी के पहले अभियुक्तगण का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं लिया था। गिरफ्तारी के स्थान से करीब 60–70 कदम पूरब बैट बरामद हुआ था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण को 30 मार्च, 2014 को उनके घरों से पकड़कर थाने लाये हों और बैट की झूठी बरामदगी दिखाई हो। गिरफ्तारी व बरामदगी में कोई पब्लिक का गवाह नहीं है। गिरफ्तारी व बरामदगी के समय जो राहगीर निकल रहे थे उनसे गवाही के लिए कहा गया, लेकिन वह तैयार नहीं हुये थे। मगर राहगीरों जिनसे गवाही के लिए कहा था उनके नाम–पते नोट नहीं किए थे। उसे याद नहीं है कि नमूना मोहर का क्या किया, थाने पर दिया या किसी की सुपुर्दगी में दिया था। जीप का चालक होमगार्ड था। वह नहीं बता पायेगा कि दिनापंक 27.02.14 को जो उसने घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 है। उसने पूरी फर्द बरामदगी बैट लिख

डाली उसके बाद ही स्वंय, गवाहों के व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये थे और इसी की कार्बन प्रति अभियुक्तगण को दी गयी थी। फर्द कार्बन प्रति लगाकर ही लिखी गयी थी। यह कहना गलत है कि फर्जी बरामदगी उसने थाने पर तैयार की है। यह भी कहना गलत है कि उसने कल्पना पर फर्द लिख डाली हो। उसने घटना स्थल के पड़ोस में जो पुलिस पिकेट पड़ी थी उससे घटना के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। यह सही है कि वादी का आरोप था कि इन्हीं पुलिस वालों ने डकैती डलवा दी है। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों को बचाने के लिए उसने लूट के मामले को हत्या का केस बना दिया हो।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू09** एच0सी0 अवधेश कुमार (विवेचक) है । इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनांक 27.02.14 को वह थाना थानगांव में आरक्षी मोहर्रिर के पद पर तैनात था। इसी दिन वादी मुकदमा रामनरेश गुप्ता पुत्र शम्भू दयाल निवासी शेमसेरीपुरवा मजरा ग्वारी, थाना थानगांव एक लिखित तहरीर लेकर आया जिसके साथ रंजना गुप्ता व संजय कुमार भी थे। तहरीर के आधार पर नकल चिक मु0अ0सं0–41/14 धारा–394,302 भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात किता किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न चिक एफ0आई0आर0 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। इस मुकदमे की कायमी रपट सं0–27 समय 14.20 पी0एम0 पर उसके द्वारा की गयी। समय व्यतीत हो जाने के कारण मूल जी0डी0 नष्ट हो चुकी है जिसका प्रमाण पत्र वह आज पुलिस कार्यालय से लेकर आया है। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कार्बन प्रति कायमी जी0डी0 व मूल जी0डी0 नष्ट करने का प्रमाण पत्र की पुष्टि किया। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–14** व **प्रदर्श क–15** डाला गया।

21.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू09** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की तहरीर के अनुसार यह मामला लूट व हत्या का था और इस मुकदमे में कोई नामजद नहीं था। वादी ने लिखाया था कि उसके भाई की दुकान में लूटपाट की गयी। यह लूटपाट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गयी। वादी द्वारा यह भी लिखाया गया था कि दुकानों से लगभग 40 कमद की दूरी पर पुलिस पिकेट ड्यूटी पर मौजूद थी। वादी ने विश्वास के आधार पर कहा था किम इस घटना में पुलिस पिकेट का हांथ है। जी0डी0 जो उसने साबित की है, वह कार्बन कापी है।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू010** डा0 सन्याल कुमार (पोस्टमार्टम कर्ता) है । इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि वह दिनांक 28.02.2014 को पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी के दौरान तैनात था। समय 2.00 बजे दिन में पुलिस प्रपत्रों के साथ मृतक छोटेलाल का शव सीलबन्द मोहर हालत में आरक्षी सुरेश बहादुर सिंह थाना थानगांव, सीतापुर द्वारा लागया गया था। जिसकी शिनाख्त रामनरेश पुत्र शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा की गयी थी। शव का विच्छेदन करने से पूर्व मृतक के शरीर पर कुर्ता, स्वेटर, पैजामा, नेकर, तौलिया मौजूद थे। जिसके पीठ की ओर लालिमा मौजूद थी।

<u>अन्वेषण के समय की स्थिति</u>

पेट खुला हुआ था। पेट के निचले में बाये तरफ हरापन मौजूद था। दोनों आंखो की पुतली में लालिमा मौजूद थी। शव विच्छेदन के दौरान मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गईः—

<u>बाह्य परीक्षण</u>

1. मृतक के शरीर पर दाहिनी तरफ सिर पर माथे की ओर कान से 10 सेमी0 ऊपर धारदार चोट जिसका आयाम 2सेमी0X1सेमी0 था। उसके नीचे की Right frontal and Right Temporal Bone टूटी हुई थी। जो किसी मजबूत धारदार हथियार से पहुंचाया जाना सम्भव है।

2. दूसरी चोट दाहिने भव पर जिसका आयाम 1सेमी0X1सेमी0 था। धारदार था। जो कि ऊपरी सतह पर मौजूद थी। यह चोट भी किसी धारदार हथियार से पहुंचाया जाना सम्भव है।

3. बाये साइड सिर के पास 5 सेमी0 बांये भौं के ऊपर छिला हुआ घाव जिसका आयाम 4सेमी0X2.5सेमी0 था। यह चोट किसी कुन्दालय आदि से पहुंचाया जाना सम्भव है।

4. बाये तरफ भौ के पास रगडी चोट पाई गई जिसका आयाम 2सेमी0X1.5सेमी0 था जो कि कुन्दालय आदि से आना सम्भव है।

5. बाये तरफ ठोड़ी के ऊपर धारदार चोट पाई गई जिसका आयाम 4सेमी0X1.5 सेमी0 था। यह घाव Esternal हड्डी से 9सेमी0 ऊपर मौजूद था। इसके नीचे की हड्डी फ्रेक्चर थी। यह चोट किसी धारदार हथियार से पहुंचाया जाना सम्भव है।

6. बाये तरफ कान के पास दो चोटें पायी गई जो धारदार हथियार से पहुंचाई गई थीं जिसका आयाम 2सेमी0X1सेमी0 व 1.5सेमी0X1सेमी0 था।

7. मृतक के दाहिनी ओर सीने पर 6सेमी0 निपल एरिया से नीचे थी। यह चोट रगडी हुई थी जिसका आयाम 0.5सेमी0X0.5सेमी0 था। जो रगड़ से आना सम्भव है।

8. दाहिनी पीठ की तरफ सातवीं सरवाईकल मेरू रज्जू के नीचे रगड़ी हुई चोट जिसका आयाम 3सेमी0X2सेमी0 था। यह चोट लाठी–डण्डा या कुन्दालय आदि से आना सम्भव है।

9. दाहिने हांथ के अंगूठे के पिछले हिस्से में धारदार कटी हुई चोट मौजूद थी जिसका आयाम 1.5सेमी0X0.5सेमी0 था जो किसी धारदार हथियार से आना सम्भव है।

आन्तरिक परीक्षण

मस्तिष्क अति प्रजन खून के थक्के मौजूद थे। अतिप्रजन तथा टेम्पोरल एण्ड पैराइटल भाग पर खून का थक्का 8सेमी0X7सेमी0X0.5सेमी0 था जो चोट सं0–1 के क्रम में पहुंचाई गई चोट से सम्बन्धित थी। फेफड़ा अतिप्रजन था। उदर फेला हुआ था। आमाशय में अधपका खाद्य पदार्थ मौजूद था। जिसका वजन लगभग 150ग्राम था। यकृत, पित्ताशय, प्लीहा अतिप्रजन पाया गया। मृत्यु का तात्कालिक कारण उपरोक्त चोटे 1 से 1/5 दिन पूर्व आई चोट के अत्यधिक रक्त श्राव जिसका कारण सिर पर लगी गम्भीर चोट के कारण होना सम्भव है। पोस्टमार्टम के उपरान्त पुलिस पेपर(9) व पोस्टमार्टम की मूल प्रति एवं कपड़े आदि सीलबन्द करके आरक्षी सुरेश बहादुर सिंह को शव सुपुर्द किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया।

22.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू010** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि मृतक की मृत्यु खाना खाने के 2–3 घंटे पर होना प्रतीत होती है।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू011** से0नि0 निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (विवेचक) है । इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि वह दिनांक 01.06.2014 को थाना बिसवां में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन उसने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के आदेशानुसार मु0अ0सं0–41/2014 धारा–302 भा0दं0सं0 थाना थानगांव बनाम सहनूर आदि के विरूद्ध विवेचना ग्रहण किया था। नियमानुसार विवेचना प्रारम्भ किया। उससे पूर्व विवेचक विजय कुमार पाण्डेय के द्वारा किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात पर्चा नं0–24 किता किया जिसमें अभियुक्तगण कल्लू व भुट्टू का बयान लिया। अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते

हुए धारा–302 भा0दं0सं0 का आरोप पत्र सं0–92/2014 न्यायालय प्रेषित किया गया तथा धारा–394 भा0दं0सं0 का साक्ष्य न पाते हुए विलुप्त किया गया। पर्चा नं0–25 दिनांक 01.06.2014 को किता किया गया जिसमें पूर्व पर्चो के अवलोकन का हवाला दिया गया है। पर्चा नं0–26 दिनांक 05.06.2014 को कमानुसार अवलोकन किया गया। दिनांक 26.06.2014 को एस0सी0डी0–प्रथम किता किया गया जिसमें अभियुक्त इसरार का थाना थानगांव के हवालात में बयान लिया था। दिनांक 03.07.2014 को पर्चा एस0सी0डी0–द्वितीय किता किया गया तथा अभियुक्त सहनूर का हाजिर रोपकार मिला जिसका इन्द्राज एस0सी0डी0 किया गया। दिनांक 11.07.2014 को एस0सी0डी0–तृतीय किता की गयी जिसमें सहनूर का बयान लिया गया। समस्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण सहनूर व इसरार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र सं0–92/2014 व 92ए/2014 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिन पर कमशः **प्रदर्श क–18** व **प्रदर्श क–19** डाला गया।

23.1 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू011** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 में कोई भी नामजद नहीं है, अज्ञात में दर्ज है। प्रथम दृष्टया मुकदमे का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। किसी ने घटना नहीं देखी है। इस मुकदमे की जब उसे विवेचना मिली थी तब केस डायरी का अवलोकन किया। उसने पुलिस पिकेट जो घटना के दिनों में तैनात रहती थी उसमें से किसी का बयान नहीं लिया था। उसे नहीं मालूम है इस मुकदमे के वादी ने यह आरोप लगाया था कि घटनास्थल पर पुलिस पिकेट का ही इस घटना में हांथ है। उसने वादी रामनरेश का बयान नहीं लिया है। जब उसे इसकी विवेचना मिली है तब इसकी विवेचना धारा–394 व 302 भा0दं0सं0 में चल रही थी। उसने धारा–394भा0दं0सं0 को विलुप्त किया है। मात्र धारा–302 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र लगाया है। यह कहना गलत है कि चूंकि लूट व हत्या का आरोप वादी ने पुलिस पिकेट पर लगाया था इस लिए उसने पुलिस को बचाने के लिए धारा–394 भा0दं0सं0 समाप्त करके धारा–302 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वादी मुकदमा मृतक का सगा भाई है। गवाह सुषमा वादी की पत्नी है।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू012** छोटेलाल पासी (तथ्य का साक्षी) है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि घटना आज से करीब 10 वर्ष पूर्व की है। वह अभियुक्तगण सहनूर, कल्लू, भुट्टू व इसरार को नहीं जानता–पहचानता है तथा छोटेलाल गुप्ता मृतक को भी नहीं जानता–

पहचानता है। छोटेलाल गुप्ता की हत्या किसने की, उसे कोई जानकारी नहीं। उसका गांव मृतक छोटेलाल गुप्ता के गांव से 4 किमी0 दूर है। उसकी कोई रिश्तेदारी मृतक छोटेलाल गुप्ता के गांव में नहीं है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। न ही कभी पुलिस उससे मिली है और न ही उसका बयान लिया है।इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा न्यायालय की अनुमति से साक्षी से जिरह की गयी है।

24.1 अभियोजन द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी को धारा–161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, गवाह ने इन्कार किया। आगे साक्षी ने बयान दिया है कि उसने पुलिस को यह बयान नहीं दिया था कि "घटना से पहले छोटेलाल गुप्ता की दुकान की गैलरी के पीछे दीवाल बना रहे थे। दीवाल को लेकर मारपीट अभियुक्तगण के बीच हुआ हो और अभियुक्तगण उपरोक्त जबरदस्ती दीवार बनाने से रोक रहे हों तथा छोटेलाल की दुकान से रास्ता मांग रहे हों और छोटेलाल गुप्ता अपनी जगह से रास्ता देने से मना कर रहे हों। अभियुक्तगण ने गाली–गलौज किया हो और जान से मार देने को कहा हो।" यह बयान पुलिस ने कैसे लिख लिया, वह नहीं बता सकता है। इसी घटना के अगले दिन छोटेलाल गुप्ता की हत्या कर दी गयी हो इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। छोटेलाल गुप्ता की हत्या कैसे हुई, उसे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण उसके मददगार व मेली व्यवहारी हों इसलिए आज वह न्यायालय में सही बात न बता रहा है। यह भी कहना गलत है कि परिवारीजनों ने उसे पैसों का लालच दिया हो तथा उनके असर व प्रभाव के कारण आज वह सही बात नहीं बता रहा है। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण को बचाने के लिए आज वह सही बात नहीं बता रहा है।

24.2 बचाव पक्ष द्वारा **साक्षी पी0डब्लू012** से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसका गांव अभियुक्तगण व मृतक के गांव से 6–7 किमी0 है। उसका उनके गांव में कभी आना–जाना नहीं होता है।उसे कभी पुलिस वाले नहीं मिले और न ही उसका पुलिस वालों ने बयान लिया। वह अभियुक्तगण व मृतक छोटेलाल गुप्ता को जानता–पहचानता नहीं है।

निष्कर्ष

25. अभियोजन द्वारा आप अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 27.02.2014 की बीती रात समय अज्ञात बहद स्थान ग्राम हलीमनगर चौराहा, मजरा तरसेउरा, थाना थानगांव, जिला

सीतापुर में एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रामनरेश के भाई छोटेलाल की हत्या कर दी।

26. अभियोजन को अपना मामला अपनी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपीगण के विरूद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा तथा मूल्यांकन उपरोक्त आरोप के संदर्भ में किया जाएगा।

27. धारा–302 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जो कोई व्यक्ति हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा–34 भा0दं0सं0 में प्रावधानित है कि "जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।"

28. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए यह मौखिक तर्क दिया जा रहा है कि अभियोजन द्वारा कोई चक्षुदर्शी साक्षी पेश नहीं किया गया है जिन्होने घटना देखी हो। पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के चक्कर में आरोपीगण का नाम घटना में दर्शाकर अपनी कमी छिपायी गयी है। घटना पुलिस पिकेट के पास की है। पुलिस अपना दामन बचाने के लिए आरोपीगण जो मृतक के कुछ पड़ोसी हैं तथा आरोपीगण आपस में रिश्तेदार भी हैं, उनके नाम फर्जी तरीके से घटना में दर्शा दिये गये हैं। तथ्य के किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। मामला सन्देह से परे साबित नहीं हो रहा है। दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

29. विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह मौखिक बहस की जा रही है कि अभियोजन का मामला साक्ष्य से सन्देह से परे साबित हो रहा है। दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

30. आरोपीगण पर अभियोजन द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि तहरीर अदम तिथि, समय व बहद स्थान हलीमनगर चौराहा, मजरा तरसेउरा, थाना थानगांव, जिला सीतापुर में सभी आरोपीगण ने एक साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रामनरेश के भाई छोटेलाल की हत्या कारित की है।

31. अभियोजन पक्ष पर यह भार हरदम बना रहता है कि वह अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त सन्देह से परे

साबित करे। हस्तगत मामले में अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू01** गीतादेवी (जिसका नाम न्यायालय में बयान होते समय त्रुटिवश रीतादेवी लिखा गया है)ने अपनी मुख्य परीक्षा के अभिसाक्ष्य से टाइप शुदा तहरीर प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर व फर्द सुपुर्दगी टार्च प्रदर्श क–2 को साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि उसने डरवश गांव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पति की हत्या हो गयी है। उसे और कोई डर नहीं है। हाजिर अदालत आरोपीगण का नाम इसरार, इब्राहिम, कल्लू व सहनूर है। यह सभी उसके पति व उसके गांव के हैं। उसके पति छोटेलाल ने हलीमनगर चौराहे पर मुस्तफा से जमीन खरीदी थी। जो जमीन उसके पति ने खरीदी थी, उसके बगल में कल्लू की जमीन थी। उसके पति ने जो जमीन खरीदी थी उस पर उन्होने दुकान बनवाई थी। दुकान के बगल गैलरी थी। सभी आरोपीगण उपरोक्त ने उसके पति को दीवार बनाने से रोका था। उसके पति की हत्या से एक साल पहले दीवार बनाने से रोका था। सभी आरोपीगण गैलरी से रास्ता मांग रहे थे। उसके पति ने रास्ता देने से मना कर दिया। इस पर अभियुक्तगण ने उसके पति को धमकी दिया था कि मार डालेगें।
घटना आज से डेढ़ साल पहले की रात 3 बजे की है। उस समय उसके पति गैलरी में तखत पर लेटे थे। उस समय वह शौच गयी थी। फिर खटपट की आवाज होने पर उसने टार्च जलाई। रोशनी होने पर उसने भागते हुए कुल चार लोगों को देखा था। नजदीक आकर देखा तो उसके पति तखत पर मरे पड़े थे तथा खून लगा हुआ था। उसके बाद मौके पर गांव वाले आ गये। फिर वह बदहवाश हो गयी। थाने पर जाकर रिपोर्ट उसके देवर रामनरेश ने लिखाई, लेकिन रिपोर्ट गलत लिखा दिया। फिर उसने 10–12 दिन सही अभियुक्तगण का नाम लिखकर पुलिस कप्तान को दरख्वास्त दिया था। दरख्वास्त उसने बोलकर टाइप कराकर उसे पढ़ाकर सुनकर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया।

इस साक्षी ने जिरह के पेज–2 पर अन्तिम पंक्तियों में यह बयान दिया है कि **"वह यह नहीं जान पायी कि भागे चार लोग कौन–कौन थे।"** इस साक्षी ने जिरह के पेज–4 पर यह बयान दिया है कि **" घटना के एक साल पहले से उसके पति से आरोपीगण उसकी दुकान की गैलरी से अपने लिए रास्ता मांग रहे थे। उसके देवर ने रिपोर्ट लिखायी थी कि 30–40 कदम पर पुलिस पिकेट मौजूद थी और पुलिस का ही घटना में हांथ लगता है। यह सही है कि पुलिस ने बचने के लिए**

उससे झूठी कहानी बाद में बनाकर पुलिस ने कहा कि कह दो कि उसके देवर ने गलत रिपोर्ट लिखायी है।"

32. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू02** के रूप में रामनरेश वादी मुकदमा परीक्षित हुआ है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के अभिसाक्ष्य से लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि उक्त वाद के मृतक छोटेलाल गुप्ता उसके बड़े भाई थे। वह मुल्जिमान इसरार, सहनूर, भुट्टो उर्फ इब्राहिम व कल्लू को जानता–पहचानता है। सहनूर को छोड़कर सभी अभियुक्त हाजिर अदालत हैं। यह सभी उसके गांव के रहने वाले अभियुक्त हैं। उसके घर से करीब 1 फर्लांग की दूरी पर हलीम नगर चौराहा पड़ता है। उसके भाई छोटेलाल लगभग 15 वर्ष पूर्व खुद की दुकान बनाकर उसमें बर्तन व खाद की दुकान करते थे और रात में वहीं रूकते थे। आज से करीब 2 वर्ष पहले रात में उसके भाई छोटेलाल दुकान के बगल में बनी हुई गैलरी में लेटे हुए थे। तभी उनका कत्ल हो गया था। सुबह सूचना मिलने पर वह भी वहॉ गया था और फिर थाने जाकर घटना की दरख्वास्त देकर घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। उसने थाने पर एक आदमी से घटना बताकर दरख्वास्त लिखाई थी और थाने पर गया था। दरोगा जी ने घटनास्थल पर उसका बयान लिया था। इसके बाद दरोगा जी ने उसका कभी कोई बयान नहीं लिया था और न ही उसकी भाभी गीता ने अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम सहनूर व इसरार द्वारा उसके भाई छोटेलाल की हत्या करके देखने की बात नहीं बताई थी।

इस साक्षी ने जिरह के पेज–2 पर यह बयान दिया है कि **"उसने यह बयान नहीं दिया था कि जो उसकी भाभी ने उसके भाई की हत्या के संबंध में देखा था उसे बताया था। घटना वाले दिन दुख के कारण उसकी भाभी जो ज्यादा रो–पीट रही थी और विच्छिप्त हो गयी थी इसलिए उन्होने कुछ दिन कोई नहीं बताई। इसीलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में वह इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर पाया।"** अभियोजन द्वारा इस साक्षी को मुख्य परीक्षा में ही पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। जिरह में इस साक्षी ने आरोपीगण के विरूद्ध ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि उसने घटना कारित करते हुए आरोपीगण को देखा है, बल्कि इस साक्षी ने यह कहा है कि अन्जान बदमाशों द्वारा लूट हुई थी। उस दिन 5–6 बजे उसकी पत्नी शौच करने गयी थी। अपनी दुकान के पीछे गन्ने के खेत में कुछ बर्तन पड़े देखे थे और शक हुआ तो भागकर दुकान पर आया तो देखा कि उसके बडे भाई छोटेलाल की

हत्या कारित कर दी गयी है और दुकान का सामान बिखरा पड़ा है। इस साक्षी ने जिरह के पेज–6 पर यह बयान दिया है कि **"यह बात सही है कि पुलिस वाले अपनी बचत में हत्या व लूट के मामले को केवल हत्या में परिवर्तित करके आरोपीगण को झूठा फंसा दिया है।"**

33. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू03** के रूप में श्याम लाल परीक्षित हुआ है। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह में भी इस साक्षी ने आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने का साक्ष्य नहीं दिया है। यह साक्षी मृतक का भाई है।

34. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू04** के रूप में श्रीमती सुषमा परीक्षित हुई हैं। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि हाजिर अदालत आरोपीगण को वह जानती–पहचानती नहीं है। वह उनके नाम को नहीं जानती है। घटना आज से करीब 4 वर्ष पूर्व की है। उसके जेठ छोटेलाल मार डाले गये थे। उसके जेठ छोटेलाल की हलीम नगर बाजार में सड़क के दक्षिण दुकानें बनी हैं। उसमें वह खाद व बर्तन का कारोबार करते थे तथा रखवाली के लिए दुकान की गैलरी में पड़े तखत पर सोते थे। घटना वाली रात को भी वह उसी तखत पर सोये हुए थे। रोज की भांति सुबह करीब 5–6 बजे वह दुकान के पीछे गन्ने के खेत में शौच के लिए गयी थी तो गन्ने के खेत में कुछ बर्तन पड़े हुए उसने देखे थे। दुकान में चोरी होने की शंका पर वह दुकान में गयी तो देखा कि उसके जेठ छोटेलाल गुप्ता तखत पर लहूलुहान पड़े है और दुकान का सामान बिखरा पड़ा है। अज्ञात बदमाश उसके जेठ की हत्या कर दुकान का सामान लूट ले गये हैं। यह बात जाकर उसने अपने घर बतायी तब घर वाले मौके पर आये थे। फिर उसके पति रामनरेश ने थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने घटना की बाबत उससे पूछताछ की थी और उसका बयान लिया था।

इस साक्षी ने जिरह के पेज–1 पर यह बयान दिया कि **"घटना वाली रात खाद, बर्तन व पिपरमेंट तेल सब कुछ गायव था जिसे बदमाश लूट ले गये थे।"** इस साक्षी ने जिरह के पेज–2 पर यह बयान दिया है कि **"उसके पति व घर वालों एवं उसकी जेठानी गीता को यह पूरा विश्वास था कि यह घटना पुलिस वालों ने ही करायी है। यह बात उसके पति ने रिपोर्ट में भी लिखायी थी। इस घटना को कारित करते किसी ने नहीं देखा था। जब उसने घर जाकर लूट व हत्या के बारे में बताया**

तब उसकी जेठानी गीता पत्नी छोटेलाल, उसके पति व तमाम लोग मौके पर आये और उसकी जेठानी के कहने पर, उसने व उसके पति ने जो देखा था, के अनुसार थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी। बड़े अधिकारी, जो गये थे, उनसे भी यह बताया था कि पुलिस ने यह घटना करायी है। पुलिस वाले अपने को बचाने के लिए गीता बगैरह पर यह दबाब डाल रहे थे कि वह बयान बदल दे और पुलिस पर आरोप न लगाये। गीतादेवी उसके घर पर जाने पर बताने पर ही उसके पति आदि के साथ मौके पर आये थे।"

35. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू06** के रूप में साक्षी रामचन्द्र परीक्षित हुआ है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि वह मृतक छोटेलाल गुप्ता निवासी ग्राम समशेरीपुरवा को जानता–पहचानता नहीं था। वह इसरार पुत्र इकबाल व सहनूर पुत्र मुस्तफा को भी जानता–पहचानता नहीं है। आरोपीगण इसरार व सहनूर उसके पास कभी नहीं आये और न उसे बताया कि उसने, कल्लू व भुट्टू ने मिलकर छोटेलाल गुप्ता की हत्या कर दी है। थाना थानगांव की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए दविश दे रही है। साक्षी का थानगांव की पुलिस से आना–जाना है, उन्हें बचा लो। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह में भी इस साक्षी ने आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने का साक्ष्य नहीं दिया है।

36. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू07** के रूप में साक्षी केशन परीक्षित हुआ है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि वह सहनूर व इसरार को नहीं जानता है। छोटेलाल को जानता है। मृतक छोटेलाल शमसेरी पुरवा के रहने वाले थे। छोटेलाल वाली घटना को करीब 5 साल हो गये हैं। वह इसरार पुत्र अकबाल व सहनूर पुत्र मुस्तफा को जानता–पहचानता नहीं है। इन लोगों ने आकर उसे कभी नहीं बताया कि इन्होने छोटेलाल गुप्ता की हत्या कर दी है। न उससे कहा कि उसे थानगांव की पुलिस से बचा लो। दरोगा जी ने इस संबंध में उसका कोई बयान नहीं लिया।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह में भी इस साक्षी ने आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने का साक्ष्य नहीं दिया है।

37. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू012** के रूप में छोटेलाल पासी परीक्षित हुआ है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि घटना आज से करीब

10 वर्ष पूर्व की है। वह अभियुक्तगण सहनूर, कल्लू, भुट्टू व इसरार को नहीं जानता–पहचानता है तथा छोटेलाल गुप्ता मृतक को भी नहीं जानता– पहचानता है। छोटेलाल गुप्ता की हत्या किसने की, उसे कोई जानकारी नहीं। उसका गांव मृतक छोटेलाल गुप्ता के गांव से 4 किमी0 दूर है। उसकी कोई रिश्तेदारी मृतक छोटेलाल गुप्ता के गांव में नहीं है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। न ही कभी पुलिस उससे मिली है और न ही उसका बयान लिया है।

इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह में भी इस साक्षी ने आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने का साक्ष्य नहीं दिया है।

38. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू01 गीतादेवी ने अपने बयान में यह बताया है कि वह रात को 3.00 बजे शौच करने खेत में गयी थी। खटपट की आवाज सुनकर देखा कि चार लोग जा रहे हैं। जब वह दुकान पर गयी तो पता चला कि उसके पति तखत पर लेटे थे। उनकी हत्या कर दी गयी है और दुकान में लूट हो गयी है। इस साक्षी के अभिसाक्ष्य से यह तथ्य निकल कर आया है कि घटना वाली रात 3.00 बजे उसने चार लोगों को देखा है और 3.00 बजे रात दुकान पर जहॉ मृतक की हत्या हुई है, पहुंच गयी है। जबकि साक्षी पी0डब्लू04 श्रीमती सुषमा ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वह सुबह शौच करने खेत में 5–6 बजे के आसपास गयी थी तो देखा कि गन्ने के खेत में कुछ बर्तन गिरे पड़े हैं। शक होने पर दुकान पर गयी तब उसने घटना देखी। उसके जेठ छोटेलाल की बदमाशों ने हत्या कर दी है। यह बात उसने घर आकर अपनी जेठानी गीता, पति रामनरेश व तमाम लोगों को बताया तब सब लोग घटनास्थल छोटेलाल की दुकान पर गये। इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि पी0डब्लू01 गीतादेवी ने अपनी साक्ष्य में जो यह बयान दिया है कि उसने 3.00 बजे रात चार लोगों को भागते हुए देखा था और घटनास्थल पर पहुंच गयी थी, यह बात झूठी हो जा रही है। सत्यता यह है कि सुबह 5–6 बजे ही लोगों को घटना के बारे में पता चला है। साक्षी पी0डब्लू01 गीतादेवी ने रात 3.00 बजे चार लोगों को भागते हुए नहीं देखा है। पुनः यह कि साक्षी पी0डब्लू01 गीतादेवी ने घटना कारित करने में आरोपीगण का नाम नहीं लिया है। साक्षी पी0डब्लू02 रामनरेश ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि उसे पूरा शक है कि घटना पुलिस वालों ने ही कारित करायी है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू03 श्याम लाल और पी0डब्लू04 श्रीमती सुषमा जो मृतक के परिवार के हैं, ने भी इसी प्रकार का बयान दिया है कि उन्हें पूरा शक

है कि घटना पुलिस वालों द्वारा ही करायी गयी है और बाद में अपने मनमाफिक रिपोर्ट बनवा लिया है। इन साक्षीगण के साक्ष्य में आया है कि उन्होने आरोपीगण को घटना कारित करते हुए नहीं देखा है। साक्षी पी0डब्लू02 रामनरेश ने जिरह में यह स्पष्ट बयान दिया है कि पुलिस वालों ने अपनी बचत में हत्या व लूट के मामले को केवल हत्या में परिवर्तित कर दिया और आरोपीगण को झूठा फॅसा दिया।

39. अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के अन्य साक्षीगण पी0डब्लू06 रामचन्द्र, पी0डब्लू07 केशन एवं पी0डब्लू012 छोटेलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और आरोपीगण द्वारा घटना कारित करने का कोई बयान नहीं दिया है। इन साक्षीगण ने अपने धारा–161 दं0प्र0सं0 के बयान को सुनकर यह कहा है कि उन्होने दरोगा जी को ऐसा बयान नहीं दिया था, जैसा उन्होने लिखा है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू010 डा0 सन्याल कुमार ने अपने अभिसाक्ष्य से मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–17 को साक्ष्य से साबित किया है। मृतक छोटेलाल की हत्या उसे चोटें पहुंचाकर की गयी हैं और मृत्यु का तात्कालिक कारण कोमा जो शरीर पर आयी हेड इंजरी के कारण हुआ था, को बताया गया है। इससे जाहिर है कि मृतक छोटेलाल की दिनांक 26/27.02.2014 की रात किसी समय अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट को अन्जाम देते हुए की गयी है। अभियोजन की घटना को किसी साक्षी ने नहीं देखा है। अभियोजन की प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी पी0डब्लू02 रामनरेश की लिखित तहरीर प्रदर्श क–3 पर अज्ञात में पंजीकृत हुई है। बाद में मृतक की पत्नी पी0डब्लू01 श्रीमती गीतादेवी द्वारा दिनांक 10.03.2014 को प्रदर्श क–1 टाइपशुदा तहरीर पुलिस को दी गयी है जिसमें आरोपीगण को नामित किया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने आरोपीगण को घटनास्थल के आसपास बाद में व पहले देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अभियोजन कथानक सन्देह के आधार पर चलाया गया है। अभियोजन साक्षीगण ने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उनसे गलत रिपोर्ट बनवा ली है और उन्हें पूरा सन्देह है कि घटना पुलिस वालों ने ही करायी है। अभियोजन साक्षीगण ने आरोपीगण को झूठा फंसाने का साक्ष्य दिया है। अभियोजन ने ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पेश नहीं किया है जिसने घटना देखी हो या घटना के तुरन्त बाद आरोपीगण को भागते हुए पहचाना हो। साक्षी पी0डब्लू01 गीता के साक्ष्य में भी आरोपीगण का नाम नहीं आया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह चार लोगों को पहचान नहीं पायी। सन्देह चाहे जितना गम्भीर हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता और हत्या का जैसे अभियोग में दोषसिद्ध किया जाना उसी

तरह होगा जैसे कि बिना खवैया के नाव का होता है। अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर किस्म की तात्विक विसंगतियॉ हैं जो अभियोजन केस की विश्वसनीयता को नष्ट कर रही है।

40. इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टांत **कुलेश मोंडल बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल, ए.आई.आर. 2007 एस0सी0 3228** में माननीय न्यायालय ने यह मत अवधारित किया है कि "तात्विक असंगति ऐसी असंगतियॉ हैं जिनकी उम्मीद किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं की जाती है, तात्विक असंगतियों के रूप में जानी जाती हैं। न्यायालय को यह देखना होगा कि उक्त असंगति तात्विक प्रकृति की है या तुच्छ प्रकृति की। साधारण असंगतियॉ पक्षकार के केस की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती हैं अपितु तात्विक असंगतियॉ ऐसा करती हैं।"

41. अभियोजन पक्ष अपनी ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य से अधिरोपित आरोप कि आरोपीगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार द्वारा दिनांक 27.02.2014 की रात समय अज्ञात बहद स्थान ग्राम हलीमनगर चौराहा, मजरा तरसेउरा, थाना थानगांव, जिला सीतापुर में एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रामनरेश के भाई छोटेलाल की हत्या कारित किये जाने का तथ्य साबित नहीं हो रहा है।

42. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह पाया जा रहा है कि आरोपीगण के विरूद्ध कोई ठोस व संसंगत तथा ग्राह्य साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।अभियोजन कथानक केवल सन्देह पर आधारित है।

43. उपरोक्त विवेचना तथा साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा–302/34 भा0दं0सं0 को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है।अतः अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार धारा–302/34भा0दं0 सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण कल्लू, भुट्टू उर्फ इब्राहिम, सहनूर व इसरार को धारा–302/

34 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 (ए) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रतिभूपत्र व बन्धपत्र दाखिल हैं, जो स्वीकार किये गये हैं उक्त प्रतिभू पत्र एवं बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तदोपरान्त यह बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त समझे जायेगें।

साक्षीगण क्रमशः पी0डब्लू02 रामनरेश व पी0डब्लू03 श्यामलाल द्वारा साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है और मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षीगण के विरूद्ध धारा–344 दं0प्र0सं0 में प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया जाय।

इस निर्णय की एक प्रति प्राचीन सत्र परीक्षण सं0–577/2014 राज्य बनाम् सहनूर आदि की पत्रावली पर रखी जायेगी।

दिनांक–30.07.2026 (मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01,सीतापुर।
J.O Code-UP6141

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–30.07.2026 (मो0 सफीक)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–01,सीतापुर।
J.O Code-UP6141

किशन/–